आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–95/2020

अंचल अधिकारी, खगड़िया.....वादी

बनाम्

रामू सिंह वगैरह.....प्रतिवादी

आदेश

1/4/21

प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, खगड़िया के पत्रांक–862 दिनांक–18.02.20 के आलोक में संधारित किया गया। प्रस्तुत वाद में वाद में सन्निहित भूमि एवं जमाबंदी का विवरण निम्नवत् है :–

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा	जं0 नं0	जमांदी रैयत का नाम
दक्षिण माड़र	437	690	0–9–18–6	886	रामखेलावन सिंह, पे0–बटेश्वर सिंह

आवेदक अंचल अधिकारी के उपरोक्त पत्रांक के साथ संलग्न जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 36 (ग)/2019–20 के आदेश–पत्रक, राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन एवं जिला राजस्व शाखा के पत्रांक–859 दिनांक–16.10.17 में उल्लिखित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि रैयती है जिसके लिए जमाबंदी सं0 886 विपक्षी के पिता के नाम से गठित है तथा मौजा दक्षिण माड़र में गठित प्रश्नगत जमाबंदी 886 एवं अन्य जमाबंदी सं0 560, 75, 316, 317, 579, 510, 253 एवं 881 में त्रुटियाँ है। अतः अंचल अधिकारी, खगड़िया ने प्रश्नगत जमाबंदी सं0 886 के लगान रशीद पर रोक लगाते हुए जमाबंदी सं0 886 को रद्द करने की अनुशंसा किये है। अभिलेख पर उपलबध जिला राजस्व शाखा के पत्रांक–859 दिनांक–16.10.17 में उल्लिखित किया गया कि उपरोक्त वर्णित सभी जमाबंदियों का दाखिल खारिज अभिलेख का मिलान कर अगर जमाबंदी सही प्रतीत होता है तो उस जमाबंदी को छोड़कर संदेहास्पद जमाबंदी के रद्दीकरण का प्रस्ताव अपर समाहर्त्ता, खगड़िया के न्यायालय में प्रेषित करें।

प्रस्तुत वाद में विपक्षी एवं प्रस्तावित हस्तक्षेपक लिंगर सिंह, जनक सिंह, भागीरथ सिंह, नन्द किशोर सिंह एवं छब्बु सिंह सभी पे0–स्व0 विदेशी सिंह वकालतन उपस्थित हुए। विपक्षी भोला सिंह की ओर से वाद की पोषनीयता के बिन्दु को उठाया गया। अतः प्रथमतः वाद की पोषनीयता पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया तथा पोषनीय के बिन्दु पर विपक्षी के

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवाइ, बारे में टिप्प तारीख के साथ
1	2	3
	साथ–साथ विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता को सुना गया। विद्वान स0स0 अधिवक्ता ने कथन किया कि अंचल अधिकारी, खगड़िया का प्रस्ताव स्पष्ट नहीं है बल्कि भ्रामक है तथा प्रस्ताव में रैयती भूमि के रद्दीकरण हेतु कोई आधार अंकित नहीं किया गया है। यहाँ तक कि प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा के संबंध में भी प्रतिवेदन नहीं है। प्रस्तुत वाद वरीय उप समाहर्त्ता के जांच प्रतिवेदन पर आधारित है किन्तु आवेदक अंचल अधिकारी, खगड़िया के प्रस्ताव के साथ वरीय उप समाहर्त्ता का जांच प्रतिवेदन ही संलग्न नहीं है। अतः उक्त जांच प्रतिवेदन को संलग्न करने हेतु आदेश दिनांक–18.02.2021 को किया गया जिस संदर्भ में कार्यालय द्वारा पृष्ठांकित किया गया कि उक्त जांच से संबंधित संचिका उपलब्ध कराने से असमर्थ है। विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता दिनांक–01.04.21 को अंचल से संबंधित जांच प्रतिवेदन अभिलेख पर उपलब्ध कराए। अंचल अधिकारी, खगड़िया के प्रस्ताव का अवलोकन किया जिसमें यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रश्नगत भूमि रैयती है तथा प्रस्ताव एवं राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन में न तो दखल कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंकित है और ना ही कहीं भी यह उल्लिखित किया गया है कि किस विशिष्ट त्रुटि के कारण जमाबंदी सं0 886 अथवा अन्य जमाबंदियाँ विधि के उल्लंघन में गठित है। यह स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी, खगड़िया ने जमाबंदी सं0 886 को रद्द करने का कोई आधार अंकित नहीं किया है। इतना ही नहीं अभिलेख पर उपलब्ध जिला राजस्व शाखा, खगड़िया के पत्रांक–859 दिनांक 16.10.17 जो प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया द्वारा अंचल अधिकारी, खगड़िया को प्रेषित है में भी उल्लिखित नहीं किया गया है कि जमाबंदी सं0 886 को किस त्रुटि के कारण रद्द की जाय, बल्कि यह अंकित किया गया है कि जमाबंदी सं0 579, 560, 75, 316, 317, 579, 510, 253 एवं 881 में अगर कोई जमाबंदी सही प्रतीत होता है तो उसे छोड़कर संदेहास्पद जमाबंदी के रद्दीकरण की अनुशंसा अपर समाहर्त्ता, खगड़िया को की जाय। किन्तु प्राप्त अंचल अधिकारी, खगड़िया का प्रस्ताव बिना सम्यक जांच के अस्पष्ट एवं अपूर्ण आधार पर प्रेषित है। अतः प्रश्नगत मामला में बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम की धारा–9 आकर्षित नहीं होती है। किसी भी जमाबंदी के रद्दीकरण का प्रस्ताव सम्यक जांचोपरान्त स्पष्ट एवं वैध आधारों पर प्रेषित किया जाना चाहिए जिसका इस मामलें में पूर्णतः अभाव है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद में जमाबंदी रद्दीकरण हेतु अग्रेतर कार्रवाई करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होगा।	

आदेश की क्रम सं0 एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

अतः उपरोक्त विवेचन के आलोक में अंचल अधिकारी, खगड़िया के प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए वाद को खारिज किया जाता है। चूँकि जमाबंदी सं0 886 के रद्दीकरण का कोई आदेश पारित किये बिना ही निराधार रूप से मौजा दक्षिण माड़र में गठित जमाबंदी सं0 886 के अंतर्गत लगान रशीद के निर्गमन पर रोक लगा दिया गया है जो न्यायोचित नहीं है तथा जिसके राजस्व की भी क्षति हो रही है। अतः जमाबंदी सं0 886 के अंतर्गत लगान रशीद के निर्गमन पर अंचल अधिकारी, खगड़िया द्वारा लगाये गए रोक शीथिल किया जाता है तथा लगान भुगतान की दशा में लगान रशीद निर्गत किये जाने का निदेश दिया जाता है।

जहाँ तक प्रस्तावित हस्तक्षेपक द्वारा अपने आवेदन दिनांक– 09.07.2020 में उठाए गये तथ्य का प्रश्न है तो यह उल्लेख करना सुसंगत है कि जब प्रस्तुत वाद ही पोषनीय नहीं है तो उनके पक्षकार बनने का कोई औचित्य नहीं है। वास्तव में प्रस्तावित हस्तक्षेपक ने अपने आवेदन में जो तथ्य अंकित किया है उसमें स्वामित्व का संश्लिस्ट प्रश्न सन्निहित है जिसके निर्धारण के लिए उन्हें सक्षम सिविल न्यायालय में वाद लाना चाहिए। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, खगड़िया को अनुपालनार्थ भेंजे।

लेखापित्त एवं संशोधित

14/5/21

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

ज्ञा० सं० 341 दिनांक 24/6/24
प्रतिलिपि- अंचल अधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं [illegible] व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि- N.I.C. खगड़िया को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

24/6
अपर समाहर्त्ता
खगड़िया।